संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निम्न योजना हेतु उ0प्र0 के विभिन्न कलाकारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन (रू0 2000/–प्रतिमाह)	ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार जिन्होने संबंधित कला विधा/क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षो तक कला प्रदर्शन किया हो तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो तथा आय रू0 24,000.00 प्रति वर्ष से अधिक न हो।(आय का प्रमाण–पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र मान्य होगा)

योजना के लिये आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रेषित किया जाना है। केवल निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन मान्य होंगे। आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी से संस्तुत/अग्रसारित कराकर संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ, पिन कोड–226022 में जमा किये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2021** है। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं होगा।

आवेदन–पत्र का प्रारूप वेबसाइट–http://upculture.up.nic.in/संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

नोटः–

अधिक जानकारी/विवरण हेतु संस्कृति निदेशालय उ0प्र0, नवम् तल जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फोन नं0–0522–2286672, अथवा ई–मेल–culturеprogramme73@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0

आवेदन प्रपत्र
संस्कृति विभाग, उ.प्र.
उ.प्र. वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम ....
2. प्रार्थी/प्रार्थिनी के पिता/पति का नाम ....
3. प्रार्थी/प्रार्थिनी का पूरा स्थायी पता ....

   ....

   मोबाइल नं0......................................आधार नं0..
4. तिथि जब से प्रार्थी/प्रार्थिनी उ.प्र. का निवासी है ....
5. आयु और जन्म दिनांक ....(प्रमाण पत्र संलग्न किये जाये)
6. प्रार्थी/प्रार्थिनी की नियमित आय
   1. आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान (वार्षिक आय)............................
   2. वर्तमान आय (मासिक) ....
   3. उपरोक्त आय स्रोतों का पूर्ण विवरण ....
7. परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या

   उनके सम्बन्ध, आय, उपजीविका और आय के स्रोत यदि कोई हो

कसं	नाम	उम्र	संबंध	व्यवसाय	आय के स्रोत
1					
2					
3					
4					

8. ऐसी स्थायी सम्पत्ति जिसका स्वामित्व प्रार्थी के स्वयं या पत्नी/ पति या बच्चों के नाम हो, उस अवस्थित भूमि का क्षेत्रफल तथा मूल्य
9. किस विधा के कलाकार हैः–
10. क्या आवेदक को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अकादमी/ संस्था से कोई वित्तीय सहायता मिली हैः–

    यदि हां तो उसकी राशि और वर्षः–
11. सरकार या किसी प्रमुख कला सोसायटी संस्था से प्राप्त मान्यता का विवरण
12. उपलब्धियों का विवरण :–
    1. शैक्षिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा)
    2. प्राविधिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा)
    3. आकाशवाणी व दूरदर्शन से किये गये महत्वपूर्ण प्रसारणों का विवरण
    4. अन्य उपलब्धियों का विवरण
13. संगीत/नृत्य/नाटक के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम तथा पते जो प्रार्थी की उपलब्धियों से परिचित होः–
    (उनसे प्राप्त प्रमाण पत्र भी लगायें)
    1.
    2.
    3.
14. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति के है ? (यदि हां तो प्रमाण भी लगायें)

मैं, सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूं कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है । विवरण असत्य पाये जाने की दशा में, संस्कृति निदेशालय को देय पेंशन निरस्त करने का अधिकार होगा और पेंशन के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि को भू–राजस्व वसूली की भांति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :– निम्न प्रमाण पत्र अवष्य लगायें तभी आवेदन पत्र पर विचार होगा :–

1. कलाकार होना के प्रमाण–पत्र ।
2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र ।
3. तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
4. अवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी से संस्तुत/ अग्रसारित कराकर संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ में उपलब्ध कराना होगा।
5. मोबाइल नं0 अवश्य अंकित करें।

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 ।